राजस्व वाद 219 / 2024
जीसीएमएस नंबर–2024 / ....
बजरंग डिडेल पुत्र रूघाराम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास अभिलाषा , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 219 / 2024

वादीगण–

1. बजरंग डिडेल पुत्र रूघाराम
2. रता राम पुत्र रूघाराम
   जातियान– जाट , निवासी रूणिया तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रूघाराम पुत्र रामूराम
2. सम्पू देवी पुत्री रूघाराम
3. सुगना देवी पुत्री रूघाराम
4. मन्जू देवी पुत्री रूघाराम
   जातियान– जाट निवासी रूणिया, तहसील–जायल।
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री गोपालराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अयुब खान कायमखानी
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व गोपालराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अयुब खान कायमखानी प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि– मौजा मौजा रूणिया में खाता 262 के खेत खसरा नंबर 381 रकबा 1.6754 हैक्टैयर, खसरा नंबर 422 रकबा 4.8400 हैक्टैयर, खसरा नंबर 424 रकबा 3.4641 हैक्टैयर, खसरा नंबर 305 रकबा 0.3237 हैक्टैयर, खसरा नंबर 48 / 428 रकबा 0.7042 हैक्टैयर, खसरा नंबर 48 / 430 रकबा 0.7284 हैक्टेयर मुतदाविया भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर मुतदाविया भूमि बंटवाड़ा / विभाजन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के मध्य माफिक वादपत्र एवं साक्ष्य सबूत एवं ईकबाली जबाब के अनुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाना उचित समझते हैं।

1. वादी संख्या 1 बजरंग डिडेल के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा रूणिया का खेत खसरा नंबर 422 रकबा 4.8400 हैक्टैयर पूरा रखा गया है।

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

[illegible] 219 / 2024

जीसीएमएस नंबर–2024 / ....

[illegible]

2. वादी संख्या 2 रतनराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा रूणिया का खेत खसरा नंबर 381 रकबा 1.6754 हैक्टैयर पूरा तथा खेत खसरा नंबर 424 रकबा 3.4641 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।

3. प्रतिवादी संख्या 1 रूघाराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा रूणिया में खाता 262 के खसरा नंबर 305 रकबा 0.3237 हैक्टैयर, खसरा नंबर 48 / 428 रकबा 0.7042 हैक्टैयर, खसरा नंबर 48 / 430 रकबा 0.7284 हैक्टेयर यथावत रखे गये हैं।

4. प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मुतदाविया भूमि में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। अतः प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

5. बैंक के रहन खसरान् बैंक के यथावत रहन रहेगें। तथा उक्त के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner